



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 24, शुक्रवार, शाके 1932-मई 14, 2010  
Vaisakha 24, Friday, Saka 1932-May 14, 2010

भाग 3 (ख)

सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में, बनाये जाने को प्रस्तावित प्रारूप नियम, आनियम, उप-नियम और आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 14, 2010

संख्या प.8(1)/पर्या/99/पार्ट:-अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जो राज्य सरकार, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस.ओ. 152(3), दिनांक 10-02-1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी करना प्रस्तावित करती है, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि राज-पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा।

इस प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध में आक्षेप का सुझाव प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, सचिवालय, जयपुर को सम्बोधित किये जायें।

ऐसे आक्षेप का सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

**प्रारूप अधिसूचना**

यतः प्लास्टिक कैंरी बैग अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट कारित करते हैं;

और यतः भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क अन्य बातों के साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और यतः राज्य सरकार की राय है कि प्लास्टिक कैंरी बैग का उपयोग गंभीर क्षति कारित करता है और पर्यावरण और मानव के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

और यतः यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैंरी बैग गटर, मलनालियों और नालियों को भी निरुद्ध करते हैं, परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं;

और यतः ऐसी समस्या के होने को रोकने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को "प्लास्टिक कैंरी बैग मुक्त क्षेत्र" के रूप में घोषित करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस.ओ. 152(ई) दिनांक 10-02-1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि-

कोई व्यक्ति जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेडी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैंरी बैग का उपयोग नहीं करेगा और यह और निदेश देती है कि कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैंरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण:-** इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक कैंरी बैग का वही अर्थ होगा जो प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय और उपयोग नियम,

1999 में परिभाषित है। खाद्य सामग्री, दूध और नर्सरी में के उन्नत पौधों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आधान कैंरी बैग नहीं है।

राज्य सरकार इसके द्वारा यह और निदेश देती है कि निम्नलिखित अधिकारी इन निदेशों को क्रियान्वित करेंगे और अधिसूचना संख्या 394(ई) दिनांक 16-04-87 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (प.व.मं.) द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेंगे :-

1. जिला कलक्टर।
2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी।

राज्यपाल के आदेशों से,  
वी. एस. सिंह,  
प्रमुख शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT  
NOTIFICATION**

**Jaipur, May 14, 2010**

**No. F.8(1)Env/99-Pt.**—The following draft of notification which the State Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986), delegated to the State Government by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife), by its Notification No. S.O.152 (E) dated 10-2-1988, issued under section 23 of the said Act, read with rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the State Government after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Objections or suggestions to this draft notification may be addressed to Principal Secretary, Environment & Forests, Secretariat, Jaipur.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period so specified shall be considered by the State Government.

#### Draft Notification

Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And whereas, Article 48-A of the Constitution of India, *inter alia*, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And whereas, the Government of Rajasthan is of the opinion that, the use of plastic carry bags is causing grave injury and is detrimental to the environment and the health of human beings as well as animals;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags are also causing blockage of gutters, sewers and drains, resulting in serious environmental problems;

And whereas, with a view to prevent the occurrence of such problem the Government has decided to declare the entire area of the State of Rajasthan as "the Plastic Carry Bag Free Area";

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986), delegated to the State Government of Rajasthan by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife), by its Notification No. S.O.152 (E) dated 10-2-1988, issued under section 23 of the said Act, the State Government hereby, directs that-

*No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala etc., shall use plastic carry bags for supply of goods, and further directs that no person shall manufacture, store, import, sell or transport*

*plastic carry bags in State of Rajasthan with effect from 1<sup>st</sup> August, 2010.*

*Explanation:* For the purpose of this Notification the carry bags shall have the same meaning as defined in Plastics Manufacture, Sale and Usage Rules, 1999. The containers used for packaging food material, milk and raising plants in the nurseries are not carry bags.

The State Government hereby further directs that the following Officers shall implement these directions and file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 using the power delegated to them by Government of India, Ministry of Environment & Forests (MoEF), vide Notification No. S.O. 394(E) dated 16-4-87:-

1. District Collector.
2. Regional Officers of the Rajasthan State Pollution Control Board.

**By Order of Governor,**  
वी. एस. सिंह,  
**Principal Secretary,**  
**Environment.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**